



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-564

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 303048 दिनांक 17/06/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Dr. Sujan Lal Meena S/o SHRINARAYAN MEENA	श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री बंगाली बाबू गुप्ता	27	189.46 SQ. YARD	Cooperative	TAPOVAN VIHAR Sector/Block-B	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	डॉ. सुगन लाल मीना पुत्र श्री नारायण मीना द्वारा श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना तपोवन विहार के भूखण्ड संख्या बी-27 क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज का पट्टा चाहने हेतु आवेदन किया गया है। आवेदक द्वारा अपलोड/प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार श्री महावीर स्वामी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना तपोवन विहार के भूखण्ड संख्या बी-27 क्षेत्रफल 266.66 वर्ग गज का आवंटन श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री बंगाली बाबू गुप्ता के नाम से किया गया है। आवंटन पत्र के



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

								पिछले पृष्ठ पर श्री पवन कुमार गुप्ता पुत्र श्री मोदी लाल गुप्ता के नाम से दिनांक 6.3.91 को किया गया है। श्री पवन कुमार गुप्ता द्वारा अपंजीकृत मु.नामा दिनांक 23.01.2009 (दिनांक 02.02.2009 को मुद्रांकित) द्वारा श्री हरकेश मीणा पुत्र श्री विश्राम मीणा को किया गया है। श्री हरकेश मीणा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 02.02.09 के द्वारा श्री राकेश चन्द शर्मा पुत्र श्री हरीश चन्द शर्मा को क्षेत्रफल 200 वर्ग गज किया गया है। श्री राकेश चन्द शर्मा द्वारा उक्त भूखण्ड का बेचान जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.4.11 के द्वारा डॉ. सुगन लाल मीणा पुत्र श्री नारायण मीणा को कर दिया गया।
--	--	--	--	--	--	--	--	---

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

प्रतिलिपि:-

1. Dr. Sugan Lal Meena S/o SHRINARAYAN MEENA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।